मदिरा/बीयर की फुटकर दुकानों के नवीनीकरण व्यवस्थापन हेतु नियम एवं शर्तें :–

उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या 135/XXIII/2020/04(01)/2020/देहरादून दिनांक 22.02.2020 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक) हेतु घोषित उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2020 के क्रम में नवीनीकरण हेतु नियम व शर्तें :–

1. वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु उन्हीं मदिरा/बीयर की फुटकर दुकानों का नवीनीकरण किया जायेगा, जो कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में सम्बन्धित दुकान हेतु निर्धारित सम्पूर्ण राजस्व या उससे अधिक पर व्यवस्थापित हुई हो। मदिरा/बीयर दुकान के नवीनीकरण हेतु गत् वर्ष के प्राप्त राजस्व में निम्न प्रकार वृद्धि कर व अन्य औपचारिकतायें पूर्ण कर सम्बन्धित मदिरा दुकान का, नवीनीकरण किये जाने की व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

a- वित्तीय वर्ष 2019–20 के व्यवस्थापित राजस्व एवं अतिरिक्त उठान के राजस्व को जोडकर उसमें 15% वृद्धि करते हुए मदिरा/बीयर दुकानों का वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु राजस्व निर्धारित किया जायेगा।

b- नवीनीकृत की जाने वाली मदिरा/बीयर दुकानों की वित्तीय वर्ष 2019–20 की समस्त देयतायें 27.02.2020 तक जमा होनी चाहिये।

c- देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की दुकानों को नवीनीकरण करने हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित राजस्व का 5% प्रतिशत नवीनीकरण शुल्क देय होगा।

d- नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र व शपथ पत्र के साथ नवीनीकरण शुल्क बैंक ड्रफ्ट या चालान के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

e- लाईसेन्स प्राधिकारी नवीनीकरण स्वीकृति की सहमति, जॉचोपरान्त निर्गत करेगें।

f- मदिरा की दुकानों हेतु निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क लाईसेन्स प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई (वित्तीय वर्ष 2020–21) नवीनीकरण स्वीकृति के 01 दिवस के भीतर नियमानुसार जमा करनी होगी।

g- मदिरा दुकानों हेतु निर्धारित प्रथम प्रतिभूति लाईसेन्स प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गयी (वित्तीय वर्ष 2020–21) नवीनीकरण स्वीकृति के 07 दिवस के भीतर या 31 मार्च से पूर्व जो भी पहले हो, जमा करनी होगी।

h- मदिरा दुकानों हेतु निर्धारित द्वितीय प्रतिभूति लाईसेन्स प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गयी (वित्तीय वर्ष 2020–21) नवीनीकरण स्वीकृति के 30 दिवस के भीतर या 31 मार्च से पूर्व जो भी पहले हो, जमा करनी होगी।

i- अनुज्ञापी को नीवीनीकरण हेतु अपने आधार कार्ड (यदि पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया गया है) की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी तथा मदिरा दुकान के कुल राजस्व के 10% धनराशि के बराबर का हैसियत प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में 31 मार्च से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नोटः–वित्तीय वर्ष 2020–21 में उन्हीं मदिरा/बीयर की दुकानों का नवीनीकरण होगा, जो कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में सम्बन्धित दुकान हेतु निर्धारित सम्पूर्ण राजस्व या उससे अधिक पर व्यवस्थापित हुई हों।

क्रमशः.....................2

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

2. नवीनीकरण की जाने वाली मदिरा की दुकानों की समय सारणी :—

(अ) नवीनीकरण हेतु आवेदन करने का दिनांक 25.02.2020 से 28.02.2020 को अपरान्ह् 01.00 बजे तक

(ब) नवीनीकरण हेतु जिलाधिकारी/लाईसेन्स प्राधिकारी की स्वीकृत का दिनांक 28.02.2020

(स) नवीनीकरण सम्बन्धित अनुज्ञापन शुल्क जिलाधिकारी की स्वीकृति के 01 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

प्रारूप–1

मदिरा दुकान के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

दुकान का प्रकार	दुकान का नाम

वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021) तक

देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (देशी शराब–5ग)/विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (विदेशी मदिरा–5घ)/बीयर के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (विदेशी मदिरा–5बी) के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र।

(मदिरा/बीयर की फुटकर दुकान हेतु आबकारी नीति विषयक नियमावली–2020 में निर्धारित शर्तो के अनुसार उपयुक्त आवेदन पत्र स्वीकार किये जा सकते है)

(क)निम्न विवरण आवेदक द्वारा स्वयं भरे जायेगें :–

आवेदक का नवीनतम् स्वप्रमाणित फोटोग्राफ

1. आवेदक का नाम...
2. पिता/पति का नाम...
3. आयु ....
4. जन्म तिथि: दिवस/माह/वर्ष............/............./.............
5. लिंग:पुरूष/महिला..................................
6. स्थाई पता...

मकान नम्बर...
नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक..
थाना/पटवारी पट्टी..
तहसील/उप तहसील..
जिला...उत्तराखण्ड।
दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर)...
मोबाईल नम्बर ....

7. पैन नम्बर...
8. आधार कार्ड नम्बर ....
9. नवीनीकृत की जाने वाली मदिरा दुकान का विवरण..
10. जनपद...

(ख) निम्न विवरण सह आवेदक द्वारा स्वयं भरे जायेगें :–

सह आवेदक का नवीनतम् स्वप्रमाणित फोटोग्राफ

1. सह आवेदक का नाम..
2. पिता/पति का नाम...
3. आयु ....
4. जन्म तिथि: दिवस/माह/वर्ष............/............./.............
5. लिंग:पुरूष/महिला..................................
6. स्थाई पता...

मकान नम्बर...
नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक..
थाना/पटवारी पट्टी..
तहसील/उप तहसील..
जिला...उत्तराखण्ड।
दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर)...
मोबाईल नम्बर ....

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

7. पैन नम्बर..

8. आधार कार्ड नम्बर ....

(i) दुकान का नाम...

(ii) दुकान का प्रकार..

(iii) कुल व्यवस्थापित राजस्व वित्तीय वर्ष 2019–20 (अंको में)..
(शब्दो में)..

(iv) कुल व्यवस्थापित राजस्व जिसमें नवीनीकरण किया जाता है :–
वित्तीय वर्ष 2020–21 (अंको में)......................................(शब्दों में)..

(v) अनुज्ञापन शुल्क (वित्तीय वर्ष 2020–21) रूपये
(अंको में)......................................(शब्दों में)..

(vi) निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि (वित्तीय वर्ष 2020–21) रूपये (अंको में).........
....(शब्दों में)...

(vi)नवीनीकरण शुल्क (उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2020 के अनुसार रू0
(अंकों में)..(शब्दो में)..

कमश............2

11. **जमा नवीनीकरण शुल्क के बैंक ड्राफ्ट/चालान जमा करने का विवरण**–(उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, अरबन को–ऑपरेटिव बैंकों अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों से सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार किये जायेंगे। (दिनांक 22.02.2020 से पूर्व के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेंगे) :–

12. आधार कार्ड की छायाप्रति (यदि पूर्व में जमा न की गई है।)

<u>आवेदक की घोषणा</u>

मैं आवेदक .... पुत्र/पत्नी/पुत्री.................................. घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त बिन्दु 1 से 12 में दिया गया विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतः सही है। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र निरस्त करने व नवीनीकरण धनराशि जब्त करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो, मेरा अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा और साथ ही मेरी लाईसेन्स फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी। मैं इस तथ्य से भिज्ञ हूँ कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि दुकान नवीनीकरण हेतु उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2020 के अन्तर्गत निर्धारित समय के भीतर आवश्यक प्रमाण पत्र जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में तथा निर्धारित धनराशि भी समयान्तर्गत जमा कर दूँगा/दूँगी। यदि वांछित धनराशि तथा प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में अनुज्ञापन को मेरे जोखिम पर निरस्त किया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान................................

दिनांक..............................

आवेदक/सह आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)
आवेदक का नाम बडे अक्षरों में

नोट–

1. अस्ताक्षरित अथवा अंगूठे का निशान न होने पर आवेदन मान्य नहीं होगा।
2. जो लागू न हों, उसे काट दें।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

प्रारूप–2

वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021) तक की अवधि के लिए देशी मदिरा (देशी शराब–5ग)/विदेशी मदिरा व बियर (विदेशी मदिरा–5घ)/बीयर (एफ0एल0–5बी)के फुटकर बिकी के अनुज्ञापन के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले शपथपत्र का प्रारूप

आवेदक का नोटरी से प्रमाणित नवीनतम् फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा

मैं/हम ....पुत्र/पुत्री/पत्नी...
.... आयु ....वर्ष

पता वर्तमान निवास

मकान नम्बर...नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक...
................थाना/पटवारी पट्टी..तहसील/उपतहसील...
...........जिला..

पता स्थाई निवास

मकान नम्बर...नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक...
................थाना/पटवारी पट्टी..तहसील/उपतहसील...
...........जिला...................................शपथ पूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि :–

1. यह कि शपथकर्ता ने सी0एल0–5सी (देशी शराब), एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा) एवं एफ0एल0–5बी (बीयर) की फुटकर बिकी की दुकान ....जिला............ .... के अनुज्ञान वर्ष **2020–20 (दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक)** हेतु नवीनीकरण कराने हेतु सहमत हूँ।
2. यह कि शपथकर्ता ने लाईसेन्स की शर्तों और प्रतिबन्धों को पूरी तरह से समझ लिया है और यदि आवेदित दुकान उसे नवीनीकृत की जाती है तो वह नियमों, अनुज्ञापन की शर्तों और लाईसेन्स प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले अन्य निर्देशों का पालन करेगा/करेगी।
3. यह कि शपथकर्ता भारत के नागरिक है एवं उत्तराखण्ड का स्थाई निवासी है। आवेदक तहसील.................................जिला.................................का स्थाई निवासी है।
4. यह कि शपथकर्ता की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है।
5. यह कि शपथकर्ता पर न तो सरकारी अथवा लोक देयों का बकाया है, न ही उनका नाम कालीसूची में है और न ही उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उन्हे आबकारी लाईसेन्स धारण करने से विवर्जित किया गया है।
6. यह कि शपथकर्ता व उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उन्हें उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) अथवा स्वापक एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि अथवा संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में दोषी नहीं पाया गया है।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

7. यह कि शपथकर्ता को यदि देशी/विदेशी मदिरा दुकान नवीनीकृत की जाती है तो शपथकर्ता द्वारा आबकारी नीति विषयक नियमावली–2020 में दिये गये समयान्तर्गत वांछित प्रमाण पत्र जमा कर देगा, यदि शपथकर्ता उक्त प्रमाण पत्र निर्धारित दिवस के भीतर जमा नही कर पाया तो शपथकर्ता के जोखिम पर दुकान का नवीनीकरण निरस्त किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

8. शपथकर्ता द्वारा मदिरा दुकान के नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र हैसियत, स्थाई निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि विवाद रहित है।

9. यह कि शपथकर्ता के पास समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 (उत्तराखण्ड में उपान्तरति एवं अनुकूलित) के प्राविधानों एवं आबकारी आयुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दुकान खोलने के लिये उपयुक्त परिसर है/किराये पर उपयुक्त परिसर लेने की व्यवस्था है (जो लागू न हो उसे काट दिया जाय) प्रस्तावित परिसर किसी विधि या नियमों के प्रतिकूल नहीं बनाया गया है एवं रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के प्राविधानों के अनुरूप है।

10. यह कि शपथकर्ता द्वारा किसी ऐसे विक्रेता अथवा प्रतिनिधि जिसकी अपराधिक पृष्ठभूमि हो अथवा जो संक्रामक या छूत की बीमारी से ग्रस्त हो अथवा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो को नियुक्त नहीं करेगा।

11. यह कि शपथकर्ता द्वारा दुकान आवंटन के बाद पावर आफ अटार्नी के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को दुकान संचालित करने हेतु अधिकृत नहीं करेगा।

12. यह कि शपथकर्ता द्वारा अनुज्ञापन की वैधता अवधि के दौरान अनुज्ञापन का किसी अन्य के पक्ष में अन्तरण नहीं करेगा।

13. यह कि शपथकर्ता द्वारा दुकान आवंटन होने पर दुकान में मदिरा की बिक्री आबकारी नीति विषयक नियमावली–2020 में दी गयी व्यवस्था तथा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार की जायेगी।

14. आवेदक का वित्तीय वर्ष 2019–20 का कोई भी राजस्व बकाया नहीं है। समस्त राजस्व जमा कर दिया गया है।

यह कि प्रस्तार–1 से 14 तक की विषय वस्तु एवं निविदा प्रपत्रों में दी गयी विषय वस्तु हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और किसी तथ्य को छिपाया या दबाया नहीं गया है।

(जो लागू न हो, काट दिया जाये)

स्थान..

दिनांक..समय................................

शपथकर्ता

पब्लिक नोटेरी का नाम और मोहर

स्थान..दिनांक..............................

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

(प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद)

आवेदक श्री / श्रीमति / कुमारी...पुत्र / पत्नी / पुत्री..............
....निवासी...देशी मदिरा फुटकर बिकी के अनुज्ञापन (सी0एल0–5ग) / विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर बिकी के अनुज्ञापन (एफ0एल0–5घ) / बीयर के फुटकर बिकी के अनुज्ञापन (एफ0एल0–5बी) ....
....हेतु नवीनीकरण के लिए उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2020 में निर्धारित प्रपत्रों व राजस्व के साथ प्राप्त किय गया।

दिनांक..................................

कार्यालय की सील

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा
अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर व समय.............................

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner